रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1982 (भाद्रपद 6, 1904)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1982 (BHADRA 6, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	579
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1155
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	23
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1181
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	2003
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	3009
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	293
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	271
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	11595
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	485
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	171
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2327
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	199
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	579
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1155
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	23
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1181
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	2003
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	3009
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative tests in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	293
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	271
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	11595
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	485
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	171
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2327
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	199
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

* Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 24 जुलाई 1982

संकल्प

सं० 14016/1/77–पी०सी०III—भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० जी० वी० के० राय की अध्यक्षता में दिनांक 7 मार्च, 1981 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित संकल्प द्वारा कृषि में प्लास्टिकस के प्रयोग पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई । भारत सरकार द्वारा अब सकल्प के पैरा 4 और पैरा 5 में निम्न प्रकार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :—

"4 कृषि मे प्लास्टिकस के प्रयोग पर राष्ट्रीय समिति द्वारा आवश्यक सचिवालय सहायता तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा दी जायेगी ।

"5 समिति के सदस्यों को कोई मेहनताना नही दिया जायेगा । समिति पर हुआ व्यय तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा । सरकारी अधिकारियो केन्द्र और सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों आदि के प्रतिनिधियों आदि जो समिति के सदस्य हैं का यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता उनके संबंधित विभाग/उपक्रमो द्वारा वहन किया जायेगा । तथापि, गैर-सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा ।

आदेश है कि संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश है कि संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

आर० विश्वनाथन, डेस्क अधिकारी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 7 अगस्त 1982

सं० बी० 11011/3/80-अ० स (नीति)—केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद का गठन करने के बारे में इस मंत्रालय के 11 जून, 1981 की अधिसूचना सं० बी० 11011/3/80-यू०एस० (पी०) मे तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

"स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की बजाय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप-मंत्री केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष होंगे ।"

आदेश है कि अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेंजी जाए तथा यह अधिसूचना भारत के राजपत्र मे जन साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जाए ।

आर० नटराजन संयुक्त सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली दिनाक 2 अगस्त 1982

संकल्प

विषय—अखिल भारतीय खेल परिषद का पुनर्गठन

सं० एफ 2–1/82–डी०–1 (खेल)—अखिल भारतीय खेल परिषद का पिछली बार दिनांक 9 जून, 1978 के संकल्प संख्या 1–6/78–खेल–1 के द्वारा पुनर्गठन किया गया था जिसमें परिषद के अध्यक्ष सहित कुल इक्कीस सदस्य थे । उपर्युक्त पुनर्गठित परिषद का कार्यकाल कुछ समय पहले समाप्त हो गया था और इसलिए इसे पुनर्गठित

करने का निर्णय लिया गया है । यह महसूस किया गया है कि परिषद को उत्कृष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ियों की सलाह भी उपलब्ध होनी चाहिए और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी मौजूदा सदस्य संख्या में ऐसे पांच तक सदस्य बढ़ाकर वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है जो उत्कृष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ी रहे हों । अब से पुनर्गठित परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित छब्बीस सदस्य हो सकते हैं । अतः एतद्द्वारा तदनुसार परिषद के गठन में संशोधन करने और परिषद की सदस्यता अधिसूचित किये जाने की तारीख से इसे पुनर्गठित करने का संकल्प पारित किया जाता है ।

2. अखिल भारतीय खेल परिषद (इससे आगे जिसे परिषद कहा गया है) एक सलाहकार निकाय होगी और निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी :—

(I) खेलों की प्रोन्नति से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना .

(II) राष्ट्रीय खेल संघों/एसोसिएशन को दी जाने वाली वित्तीय तथा अन्य सहायता राज्य खेल कार्यक्रमों खेलों की प्रोन्नति से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं तथा खेल सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना; और

(III) सरकार और राष्ट्रीय खेल संघों/एसोसिएशन के बीच सम्पर्क स्थापित करना ।

3. परिषद में एक अध्यक्ष और पच्चीस सदस्य होंगे जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है । परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य इस प्रकार मनोनीत किए जायेंगे :—

(I) अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा) 1

(II) उपाध्यक्ष (परिषद के सदस्यों में से भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा)

(III) खेलों के प्रोन्नतिकर्ता और खेलों की प्रोन्नति संगठन और प्रशासन से संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति (भारत सरकार द्वारा (2 महिलाओं सहित) मनोनीत किए जाएंगे) 6

(IV) खेल लेखक/खेल कमेंटेटर (भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे) 2

(V) शिक्षा विद—
(भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाएंगे)

(क) स्कूलों में खेलों की प्रोन्नति से संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले । 1

(ख) विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों की प्रोन्नति से संबंधित मामलों में ज्ञान रखने वाले । 1

(VI) लोक सभा के दो सदस्य
(लोक सभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाएंगे) 2

(VII) राज्य सभा का एक सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाएगा) 1

(VIII) राज्य खेल परिषदों के प्रतिनिधि (जो भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से नामजद किये जाएंगे) 5

(IX) विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 1

(X) उत्कृष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ी 5

(XI) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में खेल तथा शारीरिक शिक्षा के प्रभारी ब्यूरो अध्यक्ष परिषद के पदेन सदस्य-सचिव होंगे । 1

योग 26

4. परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल निम्नलिखित शर्तों पर इस परिषद की प्रथम बैठक की तारीख से तीन वर्ष का होगा :—

(I) पदेन सदस्य उस समय तक ही सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहते हैं जिसके कारण वे परिषद के सदस्य हैं ।

(II) नामजद सदस्य नामजद करने वाले प्राधिकारी की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकेंगे ।

(III) परिषद में संसद सदस्य की कार्यावधि तीन वर्ष अथवा तब तक होगी जब तक कि वे संसद सदस्य बने रहते हैं जो भी पहले हो ।

(IV) जो भी सदस्य अध्यक्ष से अनुपस्थिति की मंजूरी प्राप्त किए बिना परिषद की चार लगातार बैठकों में भाग नहीं लेता उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी ।

(V) यदि परिषद में कोई स्थान किसी के त्यागपत्र, मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से खाली हो जाता है तो उस खाली स्थान पर नियुक्त किया गया व्यक्ति तीन वर्ष की शेष अवधि तक ही अपने पद पर रह सकेगा ।

(VI) कोई भी व्यक्ति जो किसी राष्ट्रीय खेल संघ का पदाधिकारी (प्रेजिडेंट, चेयरमैन, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष) है परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य के रूप में नामांकन के लिये पात्र नहीं होगा । इसके विपरीत यदि परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य राष्ट्रीय खेल संघ का पदाधिकारी बन जाता/जाती है तो वह परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी जैसा भी मामला हो।

5. परिषद की एक वर्ष मे कम से कम दो बैठकें होगी ।

6. परिषद के कार्य के निपटान को सुकर बनाने के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव, तथा परिषद के कम से कम चार सदस्यो और अधिक से अधिक छ. सदस्यो की, जो कि परिषद द्वारा अपनी पहली बैठक मे चुने जाएंगे एक कार्यकारी समिति होगी । कार्यकारी समिति ऐसे कार्य करेगी जो परिषद द्वारा इसे सौपे जाएंगे । कार्यकारी समिति की बैठके आवश्यकतानुसार हो सकती है । कार्यकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय परिषद की अगली बैठक मे सूचित किये जाएंगे ।

7. परिषद/कार्यकारी समिति, खेलो से संबंधित ऐसे तत्काल मामलो पर जो परिषद/कार्यकारी समिति की बैठक के आयोजन तक नही रोके जा सकते, परिषद/कार्यकारी समिति की ओर से भारत सरकार को सलाह देने के लिये परिषद के अध्यक्ष को प्राधिकृत कर सकती है ।

8. अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष परिषद और कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । वह परिषद की ऐसी उपसमितियो की भी अध्यक्षता करेंगे जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते है । उपाध्यक्ष परिषद के कार्य मे संबंधित अन्य ऐसे कार्य भी करेंगे जो अध्यक्ष द्वारा उन्हे सौपे जाएंगे ।

9. परिषद/कार्यकारी समिति आवश्यक समझे गए विशिष्ट प्रयोजना के लिए उप-समितियां गठित कर सकती है ।

10. परिषद खेल विशेषज्ञो की एक भूमिका तैयार करेगी जिसमें से एक अथवा एक से अधिक से आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट मामलो मे परामर्श किया जा सकता है ।

11. भारत सरकार परिषद के विधान और गठन मे आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन कर सकती है ।

12. परिषद के अध्यक्ष को विशेषज्ञों अथवा अन्य जानकार व्यक्तियों को आमंत्रित करने का अधिकार होगा, विशेषकर परिषद इसकी कार्यकारी समिति अथवा इसकी उप-समितियो की किसी भी बैठक मे भाग लेने के लिए ।

13. शिक्षा और संस्कृति मत्रालय (शिक्षा विभाग) परिषद कार्यकारी समिति और इसकी उप-समितियो को ऐसी सचिवालीय सहायता प्रदान करेगा जो आवश्यक हो ।

आदेश

14 आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय/भारत सरकार के मत्रालयों/विभागों/सभी राज्य सरकारों/ संघीय क्षेत्रो/सभी राज्य खेल परिषदों/भारत के विश्वविद्यालयो/अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक संघ/राष्ट्रीय खेल संघों/परिषदो के अध्यक्ष/अध्यक्ष राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानो की सोसायटी/निदेशक नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल सस्थान पटियाला/प्राचार्य, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर को भेज दी जाय ।

15. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

सनत कुमार चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

रोजगार एव प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 1982

संकल्प

विषय :—विकलाग व्यक्तियो सबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति ।

स० डी०जी०ई एंड टी० 35 (7)/81 ई०ई० I—श्रम मत्रालय मे विकलाग व्यक्तियो संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति जो कि नेत्रहीन सहित विकलाग व्यक्तियो के पुनर्वास से संबंधित मामलो और समय-समय पर इस बारे मे की गई प्रगति की पुनरीक्षा करने के संबंध में संकल्प संख्या डी०जी०ई०टी०—35 (7)/81 ई० ई० I, दिनांक 4 अप्रैल, 1981 द्वारा स्थापित की गई और जिसे भारत के भाग 1, खंड I मे प्रकाशित किया गया था, को भंग कर दिया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सकल्प की एक प्रति को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों को भेजा जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० आर० रामाकृष्णन, उप-सचिव

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1982

सं० 10/2/82-के० स० II—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1983 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों की अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपिक उप-संवर्ग का ग्रेड-II)

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (उक्त ग्रेड को चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु)

(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड ग (इस ग्रेड का चयन सूची मे सम्मिलित करने के लिए)।

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड ग और

(v) भारत सरकार के कुछ अन्य विभागों/संगठनों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा ख/रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा मे सम्मिलित नही है।

1. उपर्युक्त सेवाओं/पदों मे से किसी एक या एक से अधिक सेवा सम्बन्धित परीक्षा मे प्रवेश के लिए कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। वह इनमे से जितनी सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने का इच्छुक है उनका उल्लेख अपने आवेदन-पत्र मे कर सकता है।

नोट 1 :—उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों उनका वरीयता क्रम स्पष्ट रूप से लिख दें।

उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों के वरीयता क्रम में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नही किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध रोजगार समाचार मे लिखित परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नही हो जाता।

नोट 2 :—इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने वाले कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी आशुलिपिकों की ही आवश्यकता होगी और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति केवल उन्ही उम्मीदवारों में से की जायेगी जिन्हे लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी के आशुलिपिक परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है (द्रष्टव्य : नियमावली के परिशिष्ट I का पैरा 4)।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस मे बताई जायेंगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जाएगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट I मे निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

4. (1) उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) नेपाल की प्रजा या

(ग) भूटान की प्रजा या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारत भूत का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया उगाडा, तथा सयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व) टागानिका और जंजीबार, पूर्वी अफ्रीका के देशों से या जांबिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिटी), प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त (ख), (ग) और (घ) के वर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिक उप-संवर्ग का ग्रेड (II) ये नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे।

(2) परीक्षा मे ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक हो, परीक्षा मे बैठने दिया जा सकता है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

5. ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा मे तीन से अधिक बार बैठने की अनुमति नही दी जाएगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का नही है। किन्तु यह प्रतिबंध 1962 में हुई परीक्षा से प्रभावी होगा।

नोट 1 :—इस नियम के प्रयोजन के लिए परीक्षा से अभिप्राय है आशुलिपिक परीक्षा, आशुलिपिक (आपातकालीन कमीशन/अल्पकालीन कमीशन प्राप्त निर्मुक्त अधिकारी तथा भूतपूर्व सैनिक) परीक्षा तथा आशुलिपिक (भूतपूर्व परीक्षा)।

नोट 2 :—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के प्रतियोगिता में बैठे तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

नोट 3 :—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा तब माना जाएगा, जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

नोट 4 :—उम्मीदवार के परीक्षा में उपस्थित होने को उनके द्वारा लिया गया एक अवसर गिना जाएगा चाहे वह परीक्षा हेतु आयोग्य ठहरा दिया जाए। उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए।

6. (क) इस परीक्षा में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 1983 को पूरे 18 वर्ष की हो गई हो किन्तु उसकी आयु पूरे 25 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1958 से पहले और 1 जनवरी, 1965 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों अथवा निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के अधीन व्यक्तियों सहित, भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में आशुलिपिक (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल हैं) लिपिक/आशुटंककों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी 1983 को जिन्होंने आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक समेत) लिपिकों/आशुटंककों के रूप में कम से कम तीन वर्ष निरन्तर सेवा की तथा उक्त पदों पर अभी तक काम कर रहे हैं।

परन्तु उपर्युक्त आयु संबंधी छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले ली गई परीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी में आशुलिपिकों के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं।

(1) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग, या

(2) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग या

(3) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक उपसंवर्ग का ग्रेड II या

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड-ग।

नोट 1 :—डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छटाईकारों द्वारा की गई सेवा उपर्युक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में दी गई सेवा मानी जाएगी।

नोट 2 :—रक्षा प्रतिष्ठानों में नियुक्त सेवा लिपिकों द्वारा की गई सेवा उपयुक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(ग) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक अधिक आठ वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1954 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार से प्रव्रजन किया हो या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी है या जाम्बिया मलावी जेरे तथा इथियोपिया का भारत मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तो अधिकतम आठ वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(xii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1978 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(xiii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है तथा भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (भारतीय परिपत्रधारी) है तथा साथ ही वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी आपातकाल प्रमाण पत्र रखने वाला, ऐसा उम्मीदवार है जो वियतनाम से जुलाई 1975 के बाद आया है तो अधिकतम आठ वर्ष तक।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्य मुक्त न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं। (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

(xvi) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(xvii) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया था तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

ऊपर की गई अवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

ध्यान दें :— (i) जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छंटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(ii) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक सहित)/लिपिक/आशुटंकक जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन में संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिससे वह स्थानान्तरित किया गया था, यदि वह अन्यथा प्राप्त है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

7. उम्मीदवार ने भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो, अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में स्कूल लीविंग, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल परीक्षा, या कोई और प्रमाण-पत्र हो जो राज्य सरकारों को नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष हो।

नोट 1 :—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षित रूप से पात्र होगा परन्तु

उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

नोट 2 :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं, बशर्ते, कि उम्मीदवारों ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

8. उन सभी उम्मीदवारों को, जो पहले से सरकारी नौकरी में, आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हों या जो लोक उद्यमों में सेवारत हों तो यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के पैरा 7 में निर्धारित फीस देनी होगी।

12. जिन उम्मीदवार ने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य पालन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षाएं चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(xi) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, या

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसके वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

13. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उसके योग्यताक्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त समझेगा उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अन्य सेवाओं/पदों में अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक के नामों का अनुशंसा की जाएगी।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

14. नियमों की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विशेष सेवाओं/पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

16. परीक्षा में पास होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

17. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है

तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने पद के कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ है कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति के सबंध में विचार किए जाने की सम्भावना हो।

नोट :—भूतपूर्व रक्षा सेवा के विकलांग कार्मिकों के संबंध में रक्षा सेवा के डिमोबीलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

19. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसके संविधान विवरण परिशिष्ट II में दिए गए हैं।

एस० जी० मंडल, अवर सचिव

परिशिष्ट I

1. परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(I) सामान्य अंग्रेजी .	2 घन्टे	100
(II) निबन्ध . .	2 घन्टे	100
(III) सामान्य ज्ञान .	2 घन्टे	100

भाग ख—हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपिक परीक्षा (लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए)—300 अंक

नोट :—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टंकन मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी।

2. सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्नों के नमूने सहित विवरण के लिए आयोग के नोटिस (अनुबन्ध II) के साथ लगी उम्मीदवारों के लिए सूचना पुस्तिका देखिए।

3. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपि परीक्षाओं की योजना उस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

4. उम्मीदवार "निबंध" के प्रश्न पत्र II का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी में दे सकते हैं। यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र पर लागू होगा न कि उसके किसी भाग पर।

जिन उम्मीदवारों ने निबन्ध के प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए हिन्दी (देवनागरी) का विकल्प दिया है यदि वे चाहे तो कोष्ठकों में तकनीकी शब्दों को हिन्दी में लिखने के साथ उनका अंग्रेजी रूपांतर कोष्ठकों में लिख दे।

जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल (देवनागरी) में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रश्न-पत्र के उत्तर अंग्रेजी में लिखने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी केवल अंग्रेजी में ही देनी होगी।

निबन्ध और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (हिन्दी और अंग्रेजी) दोनों में तैयार किए जायेंगे।

नोट 1 :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निबन्ध के प्रश्न (II) का उत्तर तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने के इच्छुक हों तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 19 मे लिखे अन्यथा यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपिक परीक्षा अंग्रेजी मे देंगे।

एक बार दिया गया विकल्प अंतिम समझा जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार न आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट माध्यम के अलावा अन्य माध्यम म परीक्षा दी है तो ऐसे उम्मीदवारो के प्रश्न-पत्र (पत्रों) का मूल्याकन नहीं किया जाएगा।

नोट 2 :—जो उम्मीदवार आशुलिपि परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प देंगे उन्हें अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हे हिन्दी आशुलिपि नियुक्ति के बाद सीखनी होगी।

नोट 3 :—जो उम्मीदवार किसी विदेश मे स्थित भारतीय मिशन पर परीक्षा देना चाहता है उसे विदेश स्थित किसी ऐसे भारतीय मिशन पर अपने खर्च पर स्टेनोग्राफी परीक्षण देना होगा जहां ऐसा परीक्षण करने की व्यवस्था सुलभ है ।

5. लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र (1) सामान्य अंग्रेजी केवल अंग्रेजी में ही तैयार किया जाएगा और सभी उम्मीदवारो द्वारा अंग्रेजी मे ही उत्तर दिए जायेंगे।

6. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले श्रुतलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारो के क्रम में ऊंचा रखा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप में उम्मीदवारों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवक्ता अनुक्रम मे रखा जाएगा (द्रष्टव्य : निम्नलिखित अनुसूची का भाग ख)।

7. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ मे लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयो के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल उन्हीं उम्मीदवारो को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग की विवक्षा के अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

10. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नही दिए जाएंगे।

11. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों मे पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

12. निबन्ध के प्रश्न की परीक्षा पत्र में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

13 उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

भाग क

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

नोट :—भाग 'क' के प्रश्न पत्रो का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी :—यह प्रश्न पत्र इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि इससे उम्मीदवार के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाये। इस प्रश्न पत्र में शब्दों के शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और अव्यय (प्रीपोजीशन) डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि शामिल किए जा सकते है।

निबन्ध :—उम्मीदवारो को दो प्रकरणो पर निबन्ध लिखना होगा। विषय चुनने की छूट दी जाएगी। उनसे यह आशा की जाएगी कि वे अपने विचार व्यवस्थित रूप से निबन्ध के विषय के संबंध में ही संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। प्रभावपूर्ण ढंग से तथा ठीक-ठीक भाव व्यक्त करने वालों को श्रेय दिया जाएगा।

सामान्य ज्ञान :—निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी :—

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, वर्तमान घटना क्रम, सामान्य विज्ञान और दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारो के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्यपुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग ख

आशुलिपि परीक्षा की योजना

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवार को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो श्रुतलेख परीक्षाएं होंगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है :—

क—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड है :—

ग्रेड क : रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द०रो०–40–1200 ।

ग्रेड ख : रु० 650–30–740–35–880–द० रो०–40–1040 ।

ग्रेड ग : रु० 425–15–500–द० रो०–15–560–20–700–द० रो०–25–800 ।

ग्रेड घ : रु० 330–10–380–द०रो०–12–500–द०रो०–15–560 ।

ग्रेड-ख में ग्रेड-क में पदोन्नत हुए व्यक्तियों को वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 775/- पर निर्धारित कर दिया गया है। ग्रेड ग से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में रु० 710 पर निर्धारित किया जाएगा।

(2) उक्त सेवा के ग्रेड-ग में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षार्धीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

(3) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

(4) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

(5) सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे।

(6) जिन लोगों की नियुक्ति सेवा के ग्रेड ग में उनके अपने विकल्प के अनुसार की जायेगी। उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के संवर्ग अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा न कर सकेंगे।

ख—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा :

(क) (i) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्न चार ग्रेड है :—

ग्रेड क :—रु० 650 (775)–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200 ।

ग्रेड ख :—रु० 650–30–740–35–880–द० रो०–40–1040 ।

ग्रेड ग :—रु० 425–15–500–द० रो०–15–560–20–700–द० रो०–25–800 ।

ग्रेड घ :—रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560 ।

ग्रेड ख से ग्रेड क में पदोन्नत व्यक्तियों का उक्त वेतनमान में रु० 775/- प्र० मा० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।

ग्रेड ग से ग्रेड ख में पदोन्नत व्यक्तियों को उक्त वेतनमान में रु० 710/- प्र० मा० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।

(ii) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यदि यह पाया गया कि सरकार की राय में उनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह कर्मचारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरण नहीं होता है।

(ग) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी —

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे, तथा

(ii) सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेल कर्मचारियों पर लागू गैर अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के अधीन उक्त निधि में अभिदान करेंगे।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश का हकदार होगा।

(ङ) जहां तक अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित स्टाफ के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसे कि

रेलवे के अन्य स्टाफ के, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे केन्द्रीय सरकार के अन्य सेवाधियों पर लागू नियमों से शासित होंगे जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।

ग—भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिकों का उप संवर्ग।

भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिकों के उप संवर्ग में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं:—

चयन ग्रेड :—रु० 775–35–880–40–1000–द० रा० –40–1200।

ग्रेड I :—रु० 650–30–710–35–880–द० रा०–40–1040।

ग्रेड II :—रु० 425–15–500–द०रा०–15–560–20–700–द० रो०–25–800।

ग्रेड III :—रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560।

(ग्रेड ग से पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों का वेतन इस वेतनमान में न्यूनतम रु० 710/- पर निर्धारित किया जाएगा)।

2. इस सेवा के ग्रेड-ग में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते है और परीक्षाएं देनी पड़ सकती है। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का कार्य या आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

3. भारतीय विदेश सेवा (शाखा-ख) आशुलिपिकों के उप-संवर्ग-II में नियुक्त अधिकारी भारतीय विदेश सेवा शाखा-ख (आर० सी० एस० पी०) नियमावली 1964 भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली 1961 जो भारतीय विदेश सेवा 'ख' के अधिकारियों पर लागू की गई है तथा वे नियम और आदेश जो भारत सरकार द्वारा उन पर लागू किए जाएं द्वारा शासित होंगे।

4. भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) विदेश मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशनों तक ही सीमित है। इस सेवा में नियुक्त अधिकारी वाणिज्य मंत्रालय को छोड़कर सामान्यतया अन्य मंत्रालयों मे स्थानान्तरित नही किए जा सकेंगे। परन्तु वे विदेशों में अन्य मंत्रालयों में निर्मित पदो पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों में भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वे भारत में तथा भारत के बाहर कही भी इन स्थानो सहित जहां परिवार का कोई भी सदस्य साथ नही रखना होता सेवा पर भेजे जा सकते है।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को विदेशो में, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उस दर से विशेष भत्ता दिया जाएगा, जो संबद्ध देशों के निर्वाह खर्च आदि के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिए लागू भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली 1961 के अनुसार विदेश सेवा अवधि में निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी:—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सुसज्जित आवास।

(ii) सहायतार्थ चिकित्सा परिचर्या योजना के अंतरित चिकित्सा परिचर्या सुविधाए।

(iii) 8 और 21 वर्ष की आयु के बीच के अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए जो भारत में पढ़ रहे हों अथवा एक बच्चा भारत तथा दूसरा विदेश में अधिकारी की तैनाती से इतर किसी अन्य देश में पढ़ रहा हो कतिपय शर्तों के अधीन वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय। यदि सरकारी कर्मचारियों के भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे 8 और 21 वर्ष की आयु के बीच दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे विदेश मे अपने माता पिता के पास यात्रा करने वाले दो बच्चों के बदले अपनी पत्नी को छुट्टियों के दौरान भारत भेजने का विकल्प होगा। ऐसे किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की पत्नी सस्ती से सस्ती उपलब्ध श्रेणी से वायु मार्ग द्वारा वापसी यात्रा व्यय की हकदार होगी।

(iv) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से 5 से 18 वर्ष के अधिक से अधिक दो बच्चों का शिक्षा भत्ता।

(v) विहित नियमो और समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित दरों के अनुसार विदेशों में सेवा करने के संबंध में सज्जाकरण भत्ता। साधारण सज्जाकरण भत्ते के अतिरिक्त असाधारण ठन्डी जलवायु वाले देशों मे नियुक्त अधिकारियों को विशिष्ट सज्जाकरण भत्ता प्राप्त होगा।

(vi) विहित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को घर जाने की छुट्टी का यात्रा किराया।

6. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित किए गए है, कतिपय संशोधनों के अधीन इन सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे। ये अधिकारी कुछ पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेश सेवा में केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन प्राप्त छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त छुट्टी जमा कर सकेंगे।

7. उक्त अधिकारी जो भारत मे होंगे, तो ऐसी रियायतों के हकदार होंगे, जो बराबर तथा एक समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राप्त हो।

8. भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 जिसे

समय-समय पर संशोधित किया गया है, तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. इस सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और इसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के द्वारा शासित होंगे।

घ—सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा :

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

1. ग्रेड क—आशुलिपिक (निजी सचिव)—ग्रुप ख—राजपत्रित (चयन ग्रेड)

वेतनमान :—रु० 650* (775)*—30—740—35—810—द० रो०—35—880—40—1000—द० रो०—40—1200।

*ग्रेड ख में पदोन्नत किए गए अधिकारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

2. ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक)—ग्रुप ख—राजपत्रित।

वेतनमान —रु० 650 (710)†—30—740—35—880—द० रो०—40—1040।

†ग्रेड ग से पदोन्नत किए गए अधिकारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।

3. ग्रेड ग आशुलिपिक (वैयक्तिक सहायक) ग्रुप ख—अराजपत्रित।

वेतनमान : रु० 425—15—500—द० रो०—15—560—20—700—द० रो०—25—800।

4. ग्रेड घ आशुलिपिक—ग्रुप ग।

वेतनमान रु० 330—10—380—द० रो०—12—500—द० रो०—15—560।

2. अस्थायी आशुलिपिक ग्रेड-ग (वैयक्तिक सहायक) के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि में यदि असंतोषजनक सेवा अभिलेख रहा, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाला जा सकता है। परिवीक्षाधीन अवधि में उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं।

3. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में भर्ती किया गया ग्रेड ग का आशुलिपिक सामान्यतः सशस्त्र सेना मुख्यालय और दिल्ली/नई दिल्ली स्थित अंतर सेवा संगठन के किसी कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा। वह दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर अन्य स्थानों पर भी नियुक्त किया जा सकेगा जहां सशस्त्र सेना मुख्यालय/अन्तर सेवा संगठन के कार्यालय स्थित हो।

4. ग्रेड ग के आशुलिपिक ग्रेड ख (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे और ग्रेड ख आशुलिपिक (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) समय-समय पर लागू किए गए नियमों के अनुसार ग्रेड क के आशुलिपिक (निजी सचिव) के रूप में पदोन्नति के पात्र होंगे।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता और सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

MINISTRY OF PETROLEUM

CHEMICAL & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF PETROLEUM)

New Delhi the 24th July 1982

RESOLUTION

No. 14016/1/77-PC.III—Government of India constituted a National Committee on the Use of Plastics in Agriculture under the Chairmanship of Dr. G. V. K. Rao, former Member Planning Commission, vide Resolution published in the Gazette of India (Extraordinary) Part I Section I dated 7th March, 1981. Government of India have now decided to amend the para 4 and 5 of the Resolution as follows :

4. Secretariat assistance required by the National Committee on the Use of Plastics in Agriculture will be provided by the Oil Industry Development Board.

5. No remuneration will be paid to the members of the Committee. The expenditure on the Committee will be borne by the Oil Industry Development Board. TA/DA of Government officials, representatives of Central Public Sector Undertakings etc, who are members of the Committee, will be met by the concerned Department/Undertakings. However, TA/DA of the non official members will be borne by the Oil Industry Development Board".

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territories Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. VISWANATHAN, Desk Officer

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 6th August 1982

No. V.11011/3/80-US(P).—The following modification is hereby made in this Ministry's Notification No. V. 11011/3/80-US (P), dated 11th June, 1981, Constituting the Central Family Welfare Council, with immediate effect :—

"Deputy Minister for Health and Family Welfare shall be Vice-Chairman of Central Family Welfare Council instead of Minister of State for Health and Family Welfare."

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Governments/U.Ts. and that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

R. NATARAJAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd August 1982

Subject : *Reconstitution of the All India Council of Sports.*

No. F 2-1 82-D.I(SP).—The All India Council of Sports was last reconstituted *vide* Resolution No 1-6/78-SP.I dated the 9th June, 1978, with a total membership of twentyone including the president of the Council. The term of the above reconstituted Council expired some time ago and it has, therefore, been decided to reconstitute it. It has been felt that the advice of outstanding sportsmen/women should also be available to the Council and, with this end in view, it has been decided to increase the strength of the membership of the Council by adding to its existing strength, upto five members who have been outstanding sportsmen/women. The reconstituted Council may henceforth consist of up to twenty-six memebers including the president and the vice-president. It is hereby resolved, therefore, to revise the constitution of the Council accordingly and to reconstitute it with effect from the date the membership of Council is notified

2 The All India Council of Sports (hereinafter called the Council) shall be an advisory body and will discharge the following functions :—

(i) to advise Government of India on all matters relating to promotion of sports and games;

(ii) to advise Government of India on the financial and other assistance to be given to the national sports federations/associations, state sports programmes, schemes and projects concerning the promotion of sports and games and provision of sports facilities; and

(iii) to liaise between the Government and national sports federations/associations

3 The Council shall consist of a persident and twenty-five members one of whom may be designated vice-president. The president, the vice-president and members of the Council shall be nominated as below :—

i) President (to be nominated by the Government of India)	1
ii) Vice-President (to be nominated by the Government of India out of the members of the Council).	1
iii) Sports promoters and persons knowledgeable in matters relating to promotion, organisation and administration of sports (to be nominated by the Government of India)	6 (including 2 women)
iv) Sports writer/sports commentator (to be nominated by the Government of India)	2
v) Educationists (to be nominated by the Government of India)	
(a) knowledgeable in matters relating to promotion of sports in schools	1
(b) knowledgeable in matters relating to promotion of sports at the University level.	1
vi) Two members of Lok Sabha (to be nominated by the Speaker of Lok Sabha)	2
vii) One member of Rajya Sabha (to be nominated by Chairman, Rajya Sabha)	1
viii) Representatives of the State Sports Councils (to be nominated by the Government of India in consultation with the State Governments/UTs concerned)	5
ix) A representative of the Ministry of External Affairs	1
x) Outstanding sportsmen/women	5
xi) The bureau head in charge of Sports and Physical Education in the Ministry of Education and Culture who shall be member-secretary of the Council, ex-officio	1
	26

4. The tenure of the president, vice-president and members of the Council shall be three years from the date of its first meeting, subject to the following :—

(i) Ex-officio members shall continue as members so long as they hold officers by virtue of which they are members of the Council.

(ii) The nominated members shall hold office during the pleasure of the nominating authority.

(iii) The term of the Members of Parliament on the Council will be for a period of three years or till they cease to be Members of Parliament, whichever is earlier.

(iv) A member who does not attend four consecutive meetings of the Council, without obtaining leave of absence from the president of the Council shall cease to be its member.

(v) If a vacancy arises in the Council due to resignation, death or any other cause, the person appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of three years.

(vi) No person who is an office-bearer (president, chairman, secretary or treasurer) of any national sports federations/associations, shall be eligible for nomination as president, vice-president or member of the Council. Conversely, if the president ,vice-president or any member of the Council becomes such an office-bearer in a national sports federation/association, he or she shall cease to be president, vice-president or member of the Council, as the case may be.

5 The Council shall hold at least two meetings in a year

6. For facility of disposal of the work of the Council, there shall be an executive committee consisting of the president vice-president member-secretary and not less than four but not exceeding six other members of the Council, to the chosen by the Council in its first meeting The executive committee shall perform such functions as may be delegated to it by the Council. The executive committee may meet as often as necessary. The decisions taken by the executive committee shall be reported to the Council at its next meeting.

7. The Council/executive committee may authorise the president of the Council to render advice to the Government of India on behalf of the Council executive committee on such urgent matters concerning sports and games which cannot await holding of the meeting of the Council/executive committee.

8 The vice-president shall in the absence of the president preside over the meetings of the Council and the executive committee He shall also preside over such sub-committee of the Council which may be headed by the president The vice-president shall also discharge such other functions relating to the work of the Council as the president may entrust to him.

9. The Council/executive committee may set up sub-committees for specific purposes as may be considered necessary.

10 The Council may draw up a panel of sports experts, one or more of whom may be consulted by it as and when considered necessary on specific matters

11 The Government of India may revise the constitution as well as the composition of the Council from time to time, as it may consider necessary.

12. The president of the Council will have the power to invite experts or other knowledgeable persons specially to attend any of the meetings of the Council, its executive committee or its sub-committees.

13. The Ministry of Education and Culture (Department of Education) shall give such secretarial assistance to the Council, the executive committee and its sub committees as may be necessary

14. ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat/ministries/departments of the Government of India, all state governments/union territory administrations all state sports councils, universities in India, president, Indian Olympic Association, presidents of national sports federations/associations, chairman, Society for the National Institutes of Physical Education and Sports, director, Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala, principal, Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior.

15. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

S. K. CHATURVEDI, Jt. Secy

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING

New Delhi, the 9th August 1982

RESOLUTION

SUBJECT :—*Central Advisory Committee on Physically Handicapped Persons.*

No. DGE&T-35(7)/81-EE.I.—The Central Advisory Committee on Physically Handicapped Persons set up in the Ministry of Labour vide Resolution no. DGET-35(7)/81-EE. I dated the 4th April, 1981 published in the Gazette of India, Part-I, Section-I, to advise the Ministry of Labour on matters relating to the rehabilitation of the physically handicapped persons including the blind and to review the progress made in this regard from time to time stands dissolved.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of the Union Territories, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. R. RAMAKRISHNAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Deptt. of Personnel and Administrative Reforms)

RULES

New Delhi, the 28th August, 1982

No. 10/2/82-CSII.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1983 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services/posts are published for general information :

(i) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' sub-cadre);

(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade);

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service - Grade C; and

(v) Posts of Stenographers in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service

1. A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

NOTE 1 —Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts, for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts for which he is competing, would be considered from a candidate unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the results of the written examination in the Employment News.

NOTE 2 —Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination would require only English Stenographers and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Test in English (c.f. para 4 of Appendix I to the Rules).

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission

4. (1) A candidate must be either:

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c) (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre).

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall be permitted more than three attempts at the examination but this restriction shall be effective from the examination held in 1962.

NOTE 1 —For the purpose of this rule, the examination will mean the Stenographers Examination, the Stenographers' (Released EC/SSC Officers and ex-servicemen) Examination and the Stenographers' (ex-servicemen) Examination.

NOTE 2 —For the purpose of this rule a candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have made an attempt at the examination if he actually appears in any one or more subjects

NOTE 4.—Notwithstanding the disqualification/cancellation of candidature the fact of appearance of the candidate at the examination will count as an attempt.

6. (A) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January, 1983 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1958 and not later than 1st January, 1965.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including Language Stenographers)/Clerks/Stenotypists in the various Departments/Offices of the Government of India including those under the Union Territories Administrations or in the offices of the Election Commission and the Central Vigilance Commission or in the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat and have rendered not less than 3 years continuous service as Stenographer (including Language Stenographer)/Clerk/Stenotypist on 1st January 1983 and continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be available to persons appointed as Stenographers on the basis of earlier examinations, held by the Union Public Service Commission in :—

(i) Central Secretariat Stenographers' Service Grade C, or

(ii) Railway Board Secretariat Stenographer's Service Grade C, or

(iii) Indian Foreign Service (B) Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre, or

(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service Grade C.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S., Sorters employed in Subordinate Offices of P. & T. Deptt. shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 6(B) above.

NOTE 2.—Service rendered by Service clerks employed in Defence installations, shall not be counted for the purpose of Rule 6(B) above.

(C) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire & Ethiopia

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Service Personnel disabled in operations during hostilities with foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificates issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975.

(xiv) upto a maximum of five years in case of ex servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment.

(xv) up to a maximum of ten years in case of ex-servicemen and commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiecy, or on acccount of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED

N B —(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6 B) above shall be cancelled, if after submitted his application he resigns from service or his services are terminated by his department either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

(ii) A stenographer (including language Stenographer)/Clerk/Stenotypist who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority, or who is transferred to another post but but retains lien on the post from which he is transferred, will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

7. Candidates must have passed the Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services

NOTE 1:—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified

for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than usual or daily-rated employees, or those serving under Public Enterprises, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Candidate must pay the fee prescribed in para 7 of the Commission's Notice.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscence language or pornographic matter, in the script (s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

13. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service and Railway Board, Secretariat Stenographers' Service upto the required number and for appointment upto the number of unreserved vacancies in other Service/posts decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List of Grade C of the Central Secretariat Stenographers Service and Railway Board Secretariat Stenographers' Service and for appointment to vacancies in other Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. Subject to other provisions contained in these Rules, due consideration will be given, at the time of Making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts at the time of his application.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for the appointments to the Service/post.

17. No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of disabled ex Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

19. Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

H. G. MONDAL,
Under Secretary

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows : —

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) General English	2 hours	100
(ii) Essay	2 hours	100
(iii) General Knowledge	2 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST)

300 Marks

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. The papers in General English and General knowledge will consist of Objective Type questions, for details including sample questions please see Candidates' Information Manual appended to Commission's Notice (Annexure II).

3. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix.

4. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) 'Essay' either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to complete paper and not to a part thereof.

Candidates exercising the option to answer the Essay paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

Question papers in Essay and General Knowledge will be set both in Hindi and in English.

NOTE 1.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) Essay of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari), should indicate their intention to do so in col. 9 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand tests in English.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall be entertained.

If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper of such candidates will not be valued.

NOTE 2.—Candidates who opt to take the shorthand tests in Hindi will be required to learn English Stenography, and *vice versa*, after their appointment.

NOTE 3.—A candidate wishing to take the examination at and Indian Mission abroad may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

5. Paper (i) General English of the Written Test will be set in English only.

6. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

7. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

8. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

9. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for Shorthand Test.

10. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

11. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

12. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the paper on Essay for the examination

13. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

PART A

Standard and syllabus of the written test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

General English.—The paper will be designed to test the candidate's knowledge of English Grammar and Composition and generally their power to understand and ability to write correct English. The paper may include questions on correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech etc.

Essay.—Candidates will be required to write essay on two topics. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plan, Indian History and Culture, general and economic geography of India, current events everyday science and such matters of everyday observations, as may be expected of an educated person. Candidates answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The shorthand tests in Hindi will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minute respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination

A *The Central Secretariat Stenographers' Service*

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Grade A : Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200

Grade B : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade C : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade D : Rs 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Persons promoted from Grade B to Grade A are allowed a minimum pay of Rs. 775 in the scale. Persons promoted from Grade C are allowed a minimum salary of Rs 710 in the scale

(2) Persons recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government.

(3) On the conclusion of the period of probation Government may confirm the person concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit

(4) Persons recruited to Grade C of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may however at any time be transferred to any other such ministry or office

(5) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to Grade C of the Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment have any claim for transfer or appointment to any post included in the Cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Stenographers' Service scheme.

B. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Grade A : Rs. 650(775)—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade B : Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—1040.
Grade C : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade D : Rs: 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

Persons promoted from Grade B to Grade A are allowed a minimum of pay of Rs. 775/ in the scale.

Persons promoted from Grade C to Grade B are allowed a minimum salary of Rs. 710/- in the scale.

(ii) Persons recruited to Grade C of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(iii) Persons recruited to Grade C of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidate appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff

but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)—Stenographers Sub-cadre*

The Stenographers Sub-cadre of the I.F.S. (B) has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 775—35—880—40—1000—EB—40—1200.

Grade I : Rs 650—30—740—35—880—EB—40—1040.

Grade II : Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.

Grade III : Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.

(Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs. 710 in the scale)

2. Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or the conduct of any of them, in the opinion of the Government has been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

3. The officers appointed to Grade II of the S.S.C. of the I.F.S. (Branch B) will be governed by the I.F.S. Branch 'B' (RCSP) Rules 1964, I.F.S. (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to I.F.S. 'B' officers and such other rules and orders as may be made applicable to them by the Government of India.

4. The Indian Foreign Service Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad. The officers appointed to this service are normally not liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Commerce. They are, however, liable to be posted abroad and also liable to be posted to International Commissions against the posts borne on the strength of other Ministries etc. They are liable to serve anywhere in India or outside India, including non-family stations.

5 During Service abroad IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to IFS (B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Annual return air passage for children upto a maximum of two children between the ages of 8 and 21 studying in India or one child studying in India and one child in a country other than the country of the officer's posting abroad subject to certain conditions. If a Government servant has more than two children between ages of 8 and 21 studying in India, he shall have the option to send his wife to India during the vacation in lieu of two children visiting their parents abroad. In such a case the wife of the Government servant shall be entitled to return air passage by the cheapest class available.

(iv) An allowance for the education of children upto a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rate prescribed by Government from time to time.

(v) Outfit allowance in connection with service abroad in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.

(iv) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

6. Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

7. While in India, Officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government Servants of equal and similar status.

8. Officers of the IFS (B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960 as amended from time to time and by orders issued thereunder

9. Officers appointed to this service are governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

D. Armed Forces Headquarters Stenographers' Service

The AFHQ Stenographers' Service has at present, four grades as follows :

1. Grade A Stenographers (Private Secretary) Group B—Gazetted (Selection Grade).

   Scale of pay—Rs 650(*775)—30—740—35—810—Grade B.
   EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

   *Guaranteed minimum for those promoted from Grade B.

2 Grade B Stenographers (Senior Personal Assistants) Group B—Gazetted.

   Scale of pay—Rs. 650 (@710)—30—740—35—880—EB—40—1040.

   @Guaranteed minimum for those promoted from Grade C.

3 Grade C Stenographers (Personal Assistants) Group B—Non-Gazetted.

   Scale of pay—Rs. 425—15—500—EB—1—560—20—700—EB—25—800

4 Grade D Stenographers—Group C
   Scale of pay—Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB-15—560

2. Persons recruited direct as temporary stenographers' Grade C (Personal Assistants) will be on probation for a period of 2 years. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer (from service. During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may from time to time prescribe.

3. Stenographers' Grade C recruited to AFHQ Stenographers' Service will be generally posted to any office of the AFHQ and Inter Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted to such other stations outside Delhi/New Delhi, where office of AFHQ/IS Organisations may be located

4 Stenographers' Grade C will be eligible for promotion to the post of Stenographers' Grade B (Senior Personal Assistants) and Stenographers' Grade B (S.P.As) will be eligible for promotion to Stenographer Grade A (Private Secretary) in accordance with the rules in force from time to time.

5. Leave, Medical Aid and other conditions of service are the same as applicable to other ministerial staff employed in Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982